

1 शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुमति सेवानिवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

1 समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

5 निर्धारित पंजीकरणों में रखा जायेगा।

सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

हेतु 06 माह पश्चात् पुनः निरीक्षण किया जायेगा, यदि शर्तों की पूर्ति नहीं पायी जायेगी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रत्याहरित करने पर विचार करेंगी।

त्र निर्गत होने के पश्चात् विद्यालय को परिषद से मान्यता प्राप्त होने अथवा न इस कार्यालय को भी अवगत कराया जाय।

Water Harvesting System स्थापित करना अनिवार्य होगा।

मन्त्रों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है, अथवा पालन न करने की दृष्टि या शिथिलता बरती जाती है, तो उक्त प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द की जायेगी।

भवदीय

(कामता राम पाल)

संयुक्त शिक्षा निदेशक
विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर

230-38 / 2018-19 तददिनांक।
प्रति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

शिक्षा, उ०प्र० शासन, लखनऊ।

1) उ०प्र० 18 पार्क रोड लखनऊ।

1 मण्डल, मीरजापुर।

जापुर।

राज्य विद्यालय उ०प्र० लखनऊ।

निरीक्षक, मीरजापुर।

एकेडमी नॉलेज पार्क, बरईपुर, जमालपुर, मीरजापुर।

पंजीकृत

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक: एन०ओ०सी० / 2018-19 दिनांक 26.12.2018
विषय: सनबीम एकेडमी नॉलेज पार्क, बरईपुर, जमालपुर, मीरजापुर को सी०बी०एस०ई० बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित है कि उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 1916/15-7-09-1(299)/2007 शिक्षा (7) अनुभाग, दिनांक 14.7.2009 द्वारा प्रदेश स्थित माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को सी०बी०एस०ई० तथा आई०सी०एस०ई० बोर्ड द्वारा संचालित किये जाने के पूर्व संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिये जाने का निर्देश दिया गया है। उ०प्र० शासन के उक्त आदेश के अनुसार जूनपद मीरजापुर में स्थित संस्था सनबीम एकेडमी नॉलेज पार्क, बरईपुर, जमालपुर, मीरजापुर के आवेदन पत्र पर मण्डल स्तर पर गठित समिति द्वारा दिनांक 12.12.2018 को विचार किया गया। विद्यालय को शैक्षिक सत्र 2018-19 से सी०बी०एस०ई० बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने से मण्डलायुक्त विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर की अध्यक्षता में गठित एतद् संबंधी मण्डलीय समिति को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है-

1- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जाय।

2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है, तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेप्टल बोर्ड आफ सेकण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो तत्काल परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र०